संख्या–638 /DMMC/XIV-582(2017)

प्रेषक,

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए. देहरादूनःदिनांकः 14 अगस्त, 2019

विषय– आपदा जोखिम न्यूनीकरण की सेण्डई रूपरेखा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य अनेकों आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है जिनमें भूकम्प, भूस्खलन, वनाग्नि, बाढ़, त्वरित बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि व बादल फटना प्रमुख हैं। क्षेत्र में घटित कोई भी बड़ी आपदा वर्षों की मेहनत से विकसित अवसंरचना सुविधाओं को क्षति पहुंचाने के साथ–साथ विकास की गति को बाधित कर सकती है।

उक्त के दृष्टिगत यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि समय रहते आपदाओं के रोकथाम, न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन हेतु एक प्रभावी कार्ययोजना विकसित कर उसका क्रियान्वयन किया जाये ताकि आपदा से सम्भावित क्षति को यथासम्भव न्यून किया जा सके। भारत सहित अन्य सभी देशों द्वारा अंगीकृत आपदा जोखिम प्रबन्धन की सेन्डई रूपरेखा हमें ऐसा करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। 2015 से 2030 की समयावधि के लिये विश्व समुदाय द्वारा सहमत सेन्डई रूपरेखा निम्नलिखित 04 प्राथमिकताओं पर आधारित हैः

1. आपदा जोखिम की समझः इस प्राथमिकता के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही निम्नवत् हैः

- प्रासंगिक आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण, प्रबन्धन व उपयोग को प्रोत्साहन तथा उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये व्यावहारिक सूचनाओं का उपयोग
- आपदा में हुयी क्षति का व्यवस्थित मूल्यांकन, विश्लेषण, अभिलेखीकरण व आदान–प्रदान
- आपदा के आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं सास्कृतिक विरासत पर पड़ने वाले प्रभावों की समझ
- आपदा के अनुभव तथा श्रेष्ठ प्रथाओं का प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ उक्त का आदान–प्रदान
- आपदा जोखिम मूल्यांकन तथा नीतियों में वैज्ञानिक ज्ञान का समावेश तथा पारम्परिक, स्वदेशी व स्थानीय ज्ञान तथा प्रथाओं का उपयोग
- आपदा की रोकथाम व न्यूनीकरण की संस्कृति को प्रोत्साहन

2. आपदा जोखिम प्रबन्धन के लिये आपदा जोखिम प्रणाली का सुदृढ़ीकरण– इस प्राथमिकता पर निम्नवत् कार्यवाही की जानी हैः

- स्थानीय व राज्य स्तर पर चिन्हित जोखिमों से निपटने के लिये तकनीकी, वित्तीय तथा प्रशासनिक आपदा जोखिम प्रबन्धन क्षमता का आंकलन
- भूमि उपयोग एवं शहरी नियोजन, भवन निर्माण रीति संहिता, पर्यावरण और संसाधन प्रबन्धन तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों को सम्बोधित करने वाले नियम–कानूनों का सुदृढ़ीकरण व उक्त के अनुपालन हेतु आवश्यक व्यवस्थायें
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेण्डई रूपरेखा के क्रियान्वयन हेतु जनपद वह राज्य स्तर पर आवश्यक व्यवस्थायें
- आपदा जोखिम प्रबन्धन के प्रोत्साहन के लिये उपयुक्त व्यवस्थायें
- आपदा संवेदनशीलता, मानव बस्तियों की सुरक्षा व पुनर्वास हेतु व्यवस्थायें

3. प्रतिरोध्यता के लिये आपदा–जोखिम न्यूनीकरण में निवेश– इस प्राथमिकता पर निम्नवत् कार्यवाही की जानी है:

- विकास व आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति के सभी प्रासंगिक क्षेत्रों में क्रियान्वयन के लिये प्रशासन के सभी स्तरों पर संसाधनों की उपलब्धता
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आपदाओं के वित्तीय प्रभावों को कम करने के लिये जोखिम हस्तानान्तरण उपकरणों को प्रोत्साहन
- ग्रामीण विकास योजनाओं में आपदा–जोखिम मूल्यांकन, मानचित्रण एवं प्रबन्धन को बढ़ावा
- राज्य के महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को सुरक्षित बनाना
- आपदा–जोखिम कम करके भूख व गरीबी के उन्मूलन के उद्देश्यों को प्राप्त करना

4. प्रभावी प्रतिवादन के लिये पूर्व तैयारी को बढ़ावा तथा पुनःप्राप्ति, पुनर्वास व पुर्ननिर्माण में पहले से अच्छा और बेहतर निर्माण– इस प्राथमिकता पर निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:

- बचाव एवं राहत गतिविधियों को शुरू करने के लिये जनजागरूकता को बढ़ावा देना तथा आवश्यक सामग्रियों के भण्डारण के लिये सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना
- आपदा के पश्चात त्वरित प्रतिक्रिया हेतु सम्बन्धितों को आवश्यक प्रशिक्षण तथा आपातकालीन स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन के लिये तकनीकी एवं रसद (Logistical) क्षमताओं की मजबूती
- आपदा के बाद पुनर्निर्माण की जटिल एवं महंगी प्रकृति को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय संस्थाओं के समन्वय हेतु प्रभावित समुदायों तथा व्यापार सहित सभी स्तरों पर विभिन्न संस्थानों, प्राधिकरणों एवं सम्बन्धित हितधारकों के सहयोग को बढ़ावा देना।

सेण्डई रूपरेखा के क्रियान्वयन की प्रगति के लिये 2015–2030 की अवधि के नियत किये गये लक्ष्य निम्नवत् हैं:

- आपदा से होने वाली मृत्यु दर में काफी कमी
- आपदा प्रभावित लोगों की औसत संख्या को कम करना
- सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आपदा से होने वाली आर्थिक क्षति में कमी
- क्षति के साथ ही स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधाओं एवं महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और सेवाओं पर आपदाओं से होने वाले व्यवधानों में कमी
- स्थानीय, जनपद व राज्य स्तर पर आपदा जोखिम रणनीति अपनाने वाली संस्थाओं, विभागों की संख्या में वृद्धि

- इस रूपरेखा के क्रियान्वयन के लिये जनपदों के मध्य सहयोग को बढ़ावा
- बहु आपदा पूर्व चेतावनी तंत्र (Multi-hazard Early Warning System) का सदृढ़ीकरण तथा लोगों तक चेतावनी का प्रसारण

सेण्डई रूपरेखा के अनुरूप विभागों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्यों का विवरण निम्नवत् है:

1. विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों व अन्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धित पक्षों का समावेश
2. विभागीय संसाधनों व संरचनाओं पर आसन्न खतरों का आंकलन तथा उक्त के निराकरण हेतु व्यवस्थायें
3. आपदा जोखिम को कम करने के लिये योजनाओं का विकास व क्रियान्वयन
4. भवन निर्माण, भू–उपयोग, मलबा निस्तारण हेतु नियमन
5. जोखिम हस्तान्तरण व आपदा सुरक्षा उपायों को प्रोत्साहन
6. सार्वजनिक सुविधाओं के संचालन के लिये आपदा सुरक्षा मानकों का अनुपालन अनिवार्य
7. विभागीय परिसम्पत्तियों/सुविधाओं का भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आईएस.) पर्यावरण में मानचित्रीकरण
8. आपदा चेतावनी तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा आपदा चेतावनी के प्रचार–प्रसार हेतु व्यवस्था
9. आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों व अनुभवों के आदान–प्रदान हेतु व्यवस्था
10. आपदा सम्बन्धित जन–जागरूकता पर बल तथा उक्त के लिये सोशल मीडिया का उपयोग
11. अन्तर्विभागीय समन्वयन की पुष्टि
12. शोध व शिक्षण संस्थानों की संलिप्तता
13. कार्मिकों का क्षमता विकास
14. परम्परागत जोखिम न्यूनीकरण उपायों का अभिलेखीकरण व प्रचार–प्रसार
15. आपदा सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण व प्रचार प्रसार
16. आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु योजनाओं व मानक प्रचालन कार्यविधियों का विकास
17. राज्य में कृषि और लघु उद्योग आधारित आजीविका प्रणालियों द्वारा आजीविका सम्बन्धित जोखिम से बचाव, स्थानान्तरण, साझाकरण और क्षतिपूर्ति के लिये नीतियाँ व उनका अनुपालन सुनिश्चित करना

विभागों द्वारा किये जा रहे उक्त से सम्बन्धित कार्यों के परिवीक्षण, समीक्षा व दिशा–निर्देश के द्वारा सेण्डई रूपरेखा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये राज्य स्तर व जिला स्तर पर समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों व गतिविधियों का निर्धारण करते हुये एक समयबद्ध कार्य योजना विकसित की जायेगी।

विभागों द्वारा किये जा रहे सेण्डई रूपरेखा से सम्बन्धित कार्यों के परिवीक्षण एवं दिशा–निर्देश हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाता है:

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य/सचिव
3.	सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य

4.	सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	सचिव, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6.	सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7.	सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8.	सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य

उपरोक्त कार्यों की जिला स्तर पर परिवीक्षण एवं दिशा–निर्देश हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	अपर जिलाधिकारी	सदस्य
3.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
6.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग	सदस्य
8.	आपदा प्रबन्धन अधिकारी	सदस्य/सचिव

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में समस्त विभाग सेण्डई रूपरेखा के क्रियान्वयन हेतु राज्य व जनपद स्तर पर किये जाने वाले कार्यों हेतु कार्ययोजना तैयार कर उसे इस प्रयोजन हेतु गठित राज्य/जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदित करा कर यथाशीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
2. उप सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
3. अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव